

राजस्थान सरकार**अल्पसंख्यक मामलातु एवं वक्फ विभाग**

7310, Food Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan
Tel. No. 0141-2385660 Email :- dsmaraj@gmail.com

क्रमांक प. 3(11)अल्प.वक्फ/2017/24/00027

जयपुर, दिनांक : 21/01/2020

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना

(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)

—:दिशा निर्देश:—**1. प्रस्तावना :-**

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य में संचालित मदरसों का आधारभूत संरचना का विकास करना है। जिसके माध्यम से मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सके। मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं में अध्ययन के प्रति रुची जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सके। इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने हेतु आधारभूत संरचना का विकास किया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. परिभाषा :-

A. इस योजना में वर्णित निम्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :-

- बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" से है।
- अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड" से है।
- राज्य सरकार का आशय "राजस्थान सरकार" से है।
- मदरसे का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसे" से है।
- योजना का आशय "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" वर्ष 2019-20 से है।
- अनुदान का आशय बोर्ड द्वारा मदरसे को उपलब्ध करवाई गई मौद्रिक/भौतिक सामग्री सहायता से है।

B. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न एजेंसियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :-

- योजना क्रियान्वयन एजेंसी - राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
- योजना लाभान्वित एजेंसी - राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा।
- योजनान्तर्गत कार्यकारी एजेंसी - नगरीय निकाय/पी.डब्ल्यू.डी./समसा/पंचायती राज संस्थाएँ एवं निर्माण कार्य हेतु अन्य राजकीय संस्थाएँ होगी।
- योजना की मोनटरिंग एजेंसी - सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड, सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मदरसे के सदर/सचिव होंगे।

3. उद्देश्य :-

इस योजना को संचालित करने के निम्न उद्देश्य हैं :-

- मदरसों की आधारभूत संरचना का विकास करना जैसे कक्षा-कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड का निर्माण।
- मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना जैसे कम्प्यूटर, यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, अलमीरा, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई-कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण।

(Signature)

(Signature)

4. आवेदन की प्रक्रिया

- (i) योजना का लाभ लेने हेतु मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ (परिशिष्ट-1) जो निम्नानुसार है:-
 1. मदरसे के स्वामित्व का विवरण जिसमें उपपंजीयक/तहसीलदार से पंजीकृत दस्तावेज।
 2. मदरसे का ब्लू प्रिन्ट जो सदर/सचिव से हस्ताक्षर युक्त हो एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसे प्रमाणित करें। वर्तमान में निर्माण कार्य करवाये जाने वाले भाग को माप सहित अलग रंग में दर्शाना है।
 3. कार्यकारी एजेंसी की सहमति एवं तकमीना तथा तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करें।
 4. छात्र संख्या कक्षावार संलग्न करें।
- (ii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।
- (iii) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सभी आवेदन पत्रों को अपनी अभिशंषा के साथ प्राप्त होने के 15 दिवस में कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को प्रेषित करेंगे।

5. चयन प्रक्रिया

- (i) योजना के अन्तर्गत मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, अकादमिक अधिकारी एवं लेखाधिकारी राजस्थान मदरसा बोर्ड सदस्य होंगे।
- (ii) चयन समिति द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच करने के पश्चात पात्र मदरसों का चयन 30 दिवस में किया जायेगा।
- (iii) चयन समिति द्वारा चयनित मदरसों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पत्रावली 15 दिवस में राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- (iv) सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

6. चयन के मापदण्ड

- (i) निर्माण कार्य हेतु "ए" श्रेणी के मदरसों का चयन किया जायेगा एवं निर्माण की स्वीकृत कुल राशि का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि मदरसा प्रबंधन समिति जन सहयोग से प्राप्त कर वहन करेगी।
- (ii) भौतिक सामग्री हेतु योग्य मदरसों का चयन किया जायेगा।
- (iii) योजना में प्रत्येक जिले में एक मदरसे का चयन सुनिश्चित किया जायेगा एवं उसके पश्चात् प्रत्येक जिले से मदरसों की अनुपातिक संख्या के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले मदरसों का चयन किया जायेगा।
- (iv) चयन समिति द्वारा स्मार्ट क्लास रूम हेतु चयनित, भवन विहीन अधिकतम नामांकन वाले मदरसों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

7. योजना का प्रचार प्रसार

मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त योजना की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी सूचना मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। प्रत्येक जिले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में अपने स्तर पर करवाया जायेगा। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा भी योजना का अपेक्षित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8. अनुदान की शर्तें

- (i) योजना में प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 15.00/- लाख रुपये एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसे हेतु अधिकतम राशि 25.00/- लाख रुपये का कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ii) योजना में प्रत्येक मदरसे में कक्षा-कक्षा, शौचालय एवं किचन शेड की माप का निर्धारण राजकीय विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा विभाग के मापदण्ड/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। किसी मदरसे में उक्त मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में मदरसा प्रबन्धन समिति एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की जावेगी एवं तदनुसार उक्त मापदण्डों में परिवर्तन प्रस्तावित कर सकेंगे।
- (iii) योजना में निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (iv) भौतिक सामग्री हेतु देय अनुदान में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय कर मदरसों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
- (v) निर्माण कार्य हेतु देय अनुदान में कार्यकारी एजेंसी को राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।
- (vi) चयनित मदरसे के द्वारा कुल स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत चयन होने के पश्चात दो माह के भीतर राजस्थान मदरसा बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी।
- (vii) मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा उपरोक्त कार्यकारी एजेंसियों में से सुलभता के आधार पर संबंधित कार्यकारी एजेंसी से सहमति प्राप्त करके उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। इस हेतु आवश्यकता होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का सहयोग लिया जा सकेगा।
- (viii) कार्यकारी एजेंसी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत राशि का हस्तान्तरण तीन किशतों (50:40:10) में कार्यकारी एजेंसी को किया जायेगा। कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रथम किशत का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त द्वितीय किशत एवं स्वीकृत कार्य पूर्ण करने के पश्चात समस्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त तृतीय किशत जारी की जायेगी।
- (ix) कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य की नियमित देख-रेख की जायेगी एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
- (x) दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड सक्षम होंगे।
- (xi) संबंधित मदरसे को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्रमाणित हो की गत पांच वर्षों में किसी भी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुदान राशि स्वीकृत नहीं हुई है।


(श्रील चन्द)
संयुक्त शासन सचिव
2/4/20

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना
(मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संचालित योजना)
आवेदन पत्र

1	मदरसे का नाम व पता	
2	मदरसा बोर्ड में मदरसे का पंजीयन संख्या	
3	बोर्ड में पंजीयन का स्तर	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक
4	यदि मदरसा किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा है तो उसका नाम एवं विवरण	
5	यदि बोर्ड द्वारा पूर्व में मदरसे को आधुनिकीकरण योजना में निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण	
6	मदरसा सदर का नाम एवं मोबाईल नं.	
7	मदरसा सचिव का नाम एवं मोबाईल नं.	
8	मदरसे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या	
	कक्षा 1 से 5 तक	
	कक्षा 6 से 8 तक	
9	मदरसा जिस भूमि पर निर्मित है, उसके स्वामित्व का विवरण	
10	मदरसा भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्गगज में	
11	निर्मित भाग का क्षेत्रफल वर्गगज में	
12	खाली भूमि का क्षेत्रफल वर्गगज में	
13	मदरसे का ब्लू प्रिन्ट तथा जो निर्माण कार्य वर्तमान में करवाया जाना है उसकी माप सहित अलग रंग से दर्शाना है	
14	कार्यकारी एजेंसी की सहमति/तकमीना एवं तकनीकी रिपोर्ट संलग्न करें	
15	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण	

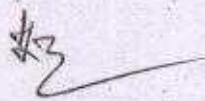
घोषणा

हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि उपरोक्त समस्त तथ्य सही हैं एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि करते हैं।

सदर के हस्ताक्षर मय सील

सचिव के हस्ताक्षर मय सील

उक्त मदरसा "मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित होने हेतु योग्य है। आवेदन पत्र को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अभिशप्ता करता हूँ।



जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का नाम
पदनाम मय सील

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.7(7)(1)/पंचा/रानिआ/2019-20/896

दिनांक : 20/11/2020

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान,
जयपुर।

प्रेषित:-

प्रमुख शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय : मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण एवं योजना के दिशा-निर्देश के संबंध में।

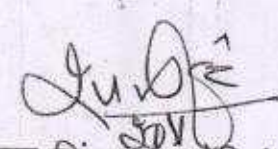
प्रसंग : आपकी पत्रावली प.3(11)अल्प.वक्फ/2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रावली के द्वारा आपने मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के दिशा-निर्देश जारी किये जाने एवं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु आज्ञा जारी करने हेतु मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में आयोग के निर्देशानुसार जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं एवं जिनके चुनाव का कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, उनमें मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परिसंपत्तियों के निर्माण एवं योजना के दिशा-निर्देश की स्वीकृति जारी की जा सकती है।

संदर्भ :- आपकी पत्रावली प.3(11)अल्प.वक्फ/2017


(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

34/11/20

20/11/2020

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 - 1^{वां} कार्यक्रम
(पंच एवं सरपंच पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 संपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	07.01.2020 (मंगलवार)	11.01.2020 (शनिवार)	18.01.2020 (शनिवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	08.01.2020 (बुधवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक	13.01.2020 (सोमवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक	20.01.2020 (सोमवार) प्रातः 10.30 से सांय 4.30 तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.01.2020 (गुरुवार) प्रातः 10.30 से	14.01.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से	21.01.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से
4	नाम वापसी की अंतिम तारीख एवं समय	09.01.2020 (गुरुवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक	14.01.2020 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक	21.01.2020 (मंगलवार) अपरान्ह 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	09.01.2020 (गुरुवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	14.01.2020 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	21.01.2020 (मंगलवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	16.01.2020 (गुरुवार)	21.01.2020 (मंगलवार)	28.01.2020 (मंगलवार)
7	मतदान की तिथि एवं समय	17.01.2020 (शुक्रवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	22.01.2020 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	29.01.2020 (बुधवार) प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8	मतगणना (पंचायत मुख्यालय पर)	17.01.2020 (शुक्रवार)	22.01.2020 (बुधवार)	29.01.2020 (बुधवार)
9	उपसरपंच का चुनाव	18.01.2020 (शनिवार)	23.01.2020 (गुरुवार)	30.01.2020 (गुरुवार)

(Handwritten signature)
22/1/20

STATE ELECTION COMMISSION RAJASTHAN

Form-A

Revised Statement of Spell-wise Panchayat Samiti & Gram Panchayat for General Election of Sarpanch & Panch, 2020

S. No.	District	1st Spell				2nd Spell				3rd Spell			
		Panchayat Samiti	G.P.	Ward	Polling Booth	Panchayat Samiti	G.P.	Ward	Polling Booth	Panchayat Samiti	G.P.	Ward	Polling Booth
1	AJMER	PESANGAN	24	264	105	SRI NAGAR	18	186	71	KISHANGARH	33	365	145
		BEHNAV	25	271	120	ARAI	22	232	85				
		JAWALA	46	306	157	MASUDA	40	386	162				
		SRI NAGAR	7	87	40								
2	ALWAR	TUDARA	102	1018	122		80	804	318				
		RAINI	47	531	200	RANGARH	43	465	181				
		KATHIMAR	26	318	139	MALANDEDA	33	317	117				
			47	535	193								
3	BANSWARA	ANADPRINI	120	1384	522		76	782	228				
		KUSHALGARH	34	290	112	BAGIDORA	32	244	96				
		GHATOT	51	365	140	BANSWARA	42	324	123				
		GADHI	68	580	223	SAHJANGARH	21	177	68				
4	BARAN		45	345	130	GANGAR TALAI	30	216	83				
		ATARI	198	1580	625	TALWARA	29	241	87				
		BARAN	26	246	138	SHANBAD	36	292	123				
			61	595	220	CHEERABAD	30	352	109				
5	BARMER	BALOTRA	38	316	154	SINDEARI	66	644	232				
		GUDA	36	234	96	PATILALAIN	30	196	88				
		SANDARI	31	303	84	GADRAROAD	17	99	45				
		KALYANPUR	26	216	92	BARMER RURAL	37	225	100				
6	BHARATPUR	FALGITA	29	191	90			275	100				
		PAHALAKHAN	3	36	15								
		DEEG	167	1215	540	SEWAR	121	793	333				
		PAWADI	37	387	115	KUMHER	32	348	127				
7	BHILWARA		35	372	129	NADRAI	36	385	140				
						BHUSAWAR	34	266	87				
						UCHCHALIN	24	248	84				
							153	1655	555				
8	BHILWARA	RAIPUR	72	764	244	JAHAZPUR	38	436	169				
		BDOLA	22	230	86	MANDALGARH	29	305	111				
						SALARA	28	276	97				
						KAREDA	24	276	106				

[Signature]
9/11

[illegible]

2/11/16

30	SERO II	ALL ROAD	32	294	56	REGDAR	39	417	184	UNDAWADA SERO II	43	402	160
31	TONE	TONE	32	294	56	1	39	417	164	2	31	339	135
		NIWAL	25	263	99	UNIAWA	36	326	132	MALPURA	74	788	304
		PIPLU	41	529	166	DEOLI	40	410	150	TODARASINGH	38	466	162
			25	259	99						31	311	109
32	UDAMPUR	SAGGAON	19	284	384	2	76	736	282	2	68	757	271
		BRINDER	29	293	121	JAADOL	40	260	100	MAWALI	40	511	185
		KOTDA	29	283	94	NHER WALA	32	228	90	GIRWA	45	379	154
		VALLETHI NAGAR	66	458	168	LASADIA	26	192	67				
			54	266	93	SATIMBER	34	280	118				
						PHALASIA	32	230	89				
Grand Total	87		248	1500	476	HRISHABHDEV	25	269	111				
						NAYAGOAN	25	199	71				
							234	1658	648	3	88	890	341
			2726	26800	10206	74	2333	22593	8365	49	1700	17516	6712

SPELL	No. of Panchayat Samiti	No. of Gram Panchayat (Sarpanch)	No. of Ward (Panch)	No. of Polling Booths
En	87	2726	26800	10206
Med	74	2331	22593	8365
Ill	40	1700	17516	6712
TOTAL	210	6759	66909	25283

20/11/19